

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
------------------------	--	--

17/1/24
 फावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगो उपस्थित
 वही मजिस्ट्रेट प्रार्थीगो के परिपेक्ष्य में फावली
 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगो के शपथ
 पत्र का भी अवलोकन किया गया। ग्राम
 कुण्डला प्रताप तहसील सुनेल की वाडग्रह आरक्षी
 खण्ड नं० 527 व 531 की पंजाबरी खेत
 2074-77 के अनुसार प्रार्थी Recorded Khateedar
 Tenant है। फिलिम प्रार्थी का कोई एक व
 आधिकार निर्दिष्ट होना प्रतीत नहीं होता है।
 प्रार्थी के बावजूद स्थिति absent रहने एवं
 एकपक्षीय कार्यवाही होने से कोई पंजाब/
 लाइप पेश नहीं हुआ है। अतः प्रार्थीगो के
 प्रोपत्र प/स 212 RT Act र.व.ड. 39 R132 CPC को
 आंशिक रूप से लीका किया गया।
 प्रार्थी को तालिमामुमदीस इस आशय कि
 मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा से जाबुज किया जाता है
 कि वह प्रार्थीगो की वाडग्रह आरक्षी पर
 बिना विचित्र श्राद्धिका के पंजाब कब्जा नहीं
 करे और कोई नवीन रास्ता (fresh/new
 way) कायम नहीं करे। फावली के साथ
 सुमा होकर नम्बर से काम होकर दाखिल
 दफतर हो।



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०।)

